रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2008/भाद्र 31, 1930
No. 511] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2008/BHADRA 31, 1930

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 666(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 12 और नियम 14 का संशोधन :

(i) नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"12. **आयु-सीमा** :—कनिष्ठ समय वेतनमान में पद, आयु, शैक्षिक अर्हताओं तथा समय-समय पर सरकार अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे";

(ii) नियम 14 का लोप किया जाए ।

[सं. 2007/ई (जी आर) 1/1/1(आर आर)]

जसवंत राय, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राज. काडर)

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 601, तारीख 28 अप्रैल, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :—

(1) सं. सा.का.नि. 418, तारीख 23-2-1979

(2) सं. सा.का.नि. 460, तारीख 31-7-1997

(3) सं. सा.का.नि. 52(अ), तारीख 12-1-1998

(4) सं. सा.का.नि. 734(अ), तारीख 5-12-1998

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2008

G.S.R. 666(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Engineers Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railway Service of Engineers Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rules 12 and 14 :—

(i) For Rule 12, the following rule shall be substituted, namely :—

"12. **Age limit** :—The post in the Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on

the basis of Engineering Services Examination conducted by the Commission, as per age, educational qualifications and other conditions as may be notified by the Government or Commission from time to time";

(ii) Rule 14 shall be deleted.

[No. 2007/E (GR)1/1/1(RR)]

JASWANT RAI, Exe. Director, Estt. (GC)

Foot Note.—The principal Rules were published in the Gazette of India *vide* Notification No. 601, dated 28th April, 1962 and subsequently Amended *vide:*

(1) No. G.S.R. 418, dated 23-2-1979

(2) No. G.S.R. 460, dated 31-7-1997

(3) No. G.S.R. 52(E), dated 12-1-1998

(4) No. G.S.R. 734(E), dated 5-12-1998

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 667(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 12 और नियम 14 का संशोधन :

(i) नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"12. **आयु-सीमा** :—कनिष्ठ समय वेतनमान में पद, आयु, शैक्षिक अर्हताओं तथा समय-समय पर सरकार अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे";

(ii) नियम 14 का लोप किया जाए ।

[सं. 2007/ई (जी आर) 1/1/1(आर आर)]

जसवंत राय, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राज. काडर)

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 603, तारीख 28 अप्रैल, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

(1) सं. सा.का.नि. 419, तारीख 23-2-1979

(2) सं. सा.का.नि. 456, तारीख 31-7-1997

(3) सं. सा.का.नि. 53(अ), तारीख 12-1-1998

(4) सं. सा.का.नि. 735(अ), तारीख 5-12-1998

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2008

G.S.R. 667(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Electrical Engineers Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railway Service of Electrical Engineers Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rules 12 and 14 :—

(i) For Rule 12 the following rule shall be substituted, namely :—

"12. **Age limit** :—The post in the Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Engineering Services Examination conducted by the Commission, as per age, educational qualifications and other conditions as may be notified by the Government or Commission from time to time";

(ii) Rule 14 shall be deleted.

[No. 2007/E (GR)1/1/1(RR)]

JASWANT RAI, Exe. Director, Estt. (GC)

Foot Note.—The principal Rules were published in the Gazette of India *vide* Notification No. 603, dated 28th April, 1962 and subsequently Amended *vide :*

(1) No. G.S.R. 419, dated 23-2-1979

(2) No. G.S.R. 456, dated 31-7-1997

(3) No. G.S.R. 53(E), dated 12-1-1998

(4) No. G.S.R. 735(E), dated 5-12-1998

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 668(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 12 और नियम 14 का संशोधन :

(i) नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"12. **आयु-सीमा** :—कनिष्ठ समय वेतनमान में पद, आयु, शैक्षिक अर्हताओं तथा समय-समय पर सरकार अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे";

(ii) नियम 14 का लोप किया जाए ।

[सं. 2007/ई (जी आर) 1/1/1(आर आर)]

जसवंत राय, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राज. काडर)

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 602, तारीख 28 अप्रैल, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

(1) सं. सा.का.नि. 420, तारीख 23-2-1979

(2) सं. सा.का.नि. 458, तारीख 31-7-1997

(3) सं. सा.का.नि. 54(अ), तारीख 12-1-1998

(4) सं. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 5-12-1998

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2008

G.S.R. 668(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Signal Engineers Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railway Service of Signal Engineers Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rules 12 and 14 :—

(i) For Rule 12 the following rule shall be substituted, namely :—

"12. **Age limit** :—The post in the Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Engineering Services Examination conducted by the Commission, as per age, educational qualifications and other conditions as may be notified by the Government or Commission from time to time";

(ii) Rule 14 shall be deleted.

[No. 2007/E(GR)1/1/1(RR)]

JASWANT RAI, Exe. Director, Estt. (GC)

Foot Note.—The principal Rules were published in the Gazette of India *vide* Notification No. 602, dated 28th April, 1962 and subsequently Amended *vide* :

(1) No. G.S.R. 420, dated 23-2-1979

(2) No. G.S.R. 458, dated 31-7-1997

(3) No. G.S.R. 54(E), dated 12-1-1998

(4) No. G.S.R. 736(E), dated 5-12-1998

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 669(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा भर्ती नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 12 और नियम 13 का संशोधन :

(i) नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"12. **आयु-सीमा** :—कनिष्ठ समय वेतनमान में पद, आयु, शैक्षिक अर्हताओं तथा समय-समय पर सरकार अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे";

(ii) नियम 13 का लोप किया जाए ।

[सं. 2007/ई (जी आर) 1/1/1(आर आर)]

जसवंत राय, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राज. काडर)

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1957, तारीख 9 नवंबर, 1968 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

(1) सं. सा.का.नि. 421, तारीख 23-2-1979

(2) सं. सा.का.नि. 459, तारीख 31-7-1997

(3) सं. सा.का.नि. 51(अ), तारीख 12-1-1998

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2008

G.S.R. 669(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Service of Mechanical Engineers Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railway Service of Mechanical Engineers Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rules 12 and 13 :—

(i) For Rule 12 the following rule shall be substituted, namely :—

"12. **Age limit** :—The post in the Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Engineering Services Examination conducted by the Commission, as per age, educational qualifications and other conditions as may be notified by the Government or Commission from time to time";

(ii) Rule 13 shall be deleted.

[No. 2007/E(GR)1/1/1(RR)]

JASWANT RAI, Exe. Director, Estt. (GC)

Foot Note.—The principal Rules were published in the Gazette of India *vide* Notification No. 1957, dated 9th November, 1968 and subsequently Amended *vide* :

(1) No. G.S.R. 421, dated 23-2-1979

(2) No. G.S.R. 459, dated 31-7-1997

(3) No. G.S.R. 51(E), dated 12-1-1998

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 670(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल भंडार सेवा भर्ती नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल भंडार सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 12 और नियम 13 का संशोधन :

(i) नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"12. **आयु-सीमा** :—कनिष्ठ समय वेतनमान में पद, आयु, शैक्षिक अर्हताओं तथा समय-समय पर सरकार अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे";

(ii) नियम 13 का लोप किया जाए ।

[सं. 2007/ई (जी आर) 1/1/1(आर आर)]

जसवंत राय, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (राज. काडर)

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 151, तारीख 18 जनवरी, 1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

(1) सं. सा.का.नि. 422, तारीख 23-2-1979

(2) सं. सा.का.नि. 457 (अ), तारीख 31-7-1997

(3) सं. सा.का.नि. 55(अ), तारीख 12-1-1998

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2008

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railway Stores Service Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railway Stores Service Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rules 12 and 13 :—

(i) For Rule 12 the following rule shall be substituted, namely :—

"12. **Age limit** :—The post in the Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of Engineering Services Examination conducted by the Commission, as per age, educational qualifications and other conditions as may be notified by the Government or Commission from time to time";

(ii) Rule 13 shall be deleted.

[No. 2007/E(GR)1/1/1(RR)]

JASWANT RAI, Exe. Director, Estt. (GC)

Foot Note.—The principal Rules were published in the Gazette of India *vide* Notification No. 151, dated 18 January, 1969 and subsequently Amended *vide:*

(1) No. G.S.R. 422, dated 23-2-1979

(2) No. G.S.R. 457(E), dated 31-7-1997

(3) No. G.S.R. 55(E), dated 12-1-1998

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.